प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः- 5033 /वि0क0/यो0/वि0पें0बजट/2013-14, लखनऊ, दिनांक- 3/3 फरवरी, 2014.

विषयः- <u>वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण अनुदान हेतु द्वितीय छः माह के लिये वित्तीय स्वीकृति।</u>

महोदय,

शासनादेश संख्या- 87/26-ब0प्र0-2014-34(बजट)/2012 टीसी, दिनांक 13 फरवरी, 2014 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण अनुदान योजना में द्वितीय छः माह के लिये आबंटन आदेश सं0-028-0301-पी-. दिनांक 26.02.2014 (संलग्नक-1) में दिये गये जनपदवार आवंटन के अनुसार कुल रु0 2,71,89,000/- (रुपये दो करोड़ इकहत्तर लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ आपके निवर्तन पर रखी जाती है तथा संलग्नक-2 के अनुसार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं :-

1- शासनादेश सं0- बी-1-152/दस-2013 दिनांक- 17 जनवरी, 2013 के अनुसार जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय शामली के आहरण एवं वितरण का कार्य कोषागार, मुजफ्फरनगर से डी.डी.ओ. कोड संख्या-4690 द्वारा तथा उक्त जनपदों में कोषागार क्रियाशील होने पर जनपदीय कोषागार से डी.डी.ओ. कोड संख्या-4687 द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

3- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्ध्दशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तर दायित्व जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का होगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय उपरोक्त आबंटन आदेश सं0-028-0301-पी-. दिनांक 26.02.2014 में उल्लिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

7- उक्त आवंटन निदेशालय की सम्यक अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0 80 पर अंकित हैं।

<u>संलग्नक</u>:-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
3 सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त उप निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6 वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1
7 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
8 गार्ड फाईल।

(डा0 एस0के0 वर्मा)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।